न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 14/2012

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. बहादुरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी उषापुरी गेट, सुमेरपुर जिला पाली		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 5.10.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 35/2008 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2011 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम जाखोडा के गत खसरा नम्बर 261 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, जिसके प्रथम भू–प्रबन्ध के खसरा नम्बर 146/2 बने, जिसके हाल खसरा नम्बर 305 व 353 रकबा क्रमशः 0.22 हैक्टेयर व 0..36 हैक्टेयर की भूमि पर अपीलाण्ट का पुश्तेनी कब्जा काश्त है। जिसके आधार पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ रेस्पोडेन्ट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजात् पर गौर किए बिना ही मात्र वाद में वर्णित भूमि नगरपालिका सुमेरपुर के परिधी चक्र में होना बताकर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जैर अपील विवादित आराजी जवाई कमाण्ड क्षैत्र में स्थित है, जिसके सन्दर्भ में आवंटन/नियमन हेतु राजस्थान कॉलोनाईजेशन (जवाई प्रोजेक्ट में सरकारी भूमि के आवंटन व विक्रय) नियम 1978 के प्रावधान लागू होतें है एवं उपरोक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

नियमों में कहीं भी परिधी ग्राम में स्थित भूमि के आवंटन/नियमन पर कोई रोक नहीं है। अपीलाण्ट अपने पिता के समय से पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं आवंटन/नियमन की पूर्ण पात्रता रखता है, किन्तु अपीलाण्ट के आवेदन को मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि जैर अपील विवादित आराजी नगरपालिका सुमेरपुर के परिधी ग्राम में स्थित है। इस भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जिला कलक्टर पाली के समक्ष जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उसमें उन्होने अपीलाण्ट को नियमन हेतु पात्र माना है, किन्तु आवंटन अधिकारी द्वारा मात्र परिधी ग्राम का हवाला देकर अपीलाण्ट को उसके जायज हक हकूकों से वंचित रखा गया है, जो विधि विरूद्ध है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में तीन आज्ञापक बिन्दुओं का विवेचन करना आवश्यक है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व इन बिन्दुओं को किसी भी रूप में विवेचित नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय विधिक दृष्टि से त्रुटीपूर्ण है, जिसे निरस्त कराते हुए अपील स्वीकार करावें एवं अपीलाण्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में सरकारी सिवायचक भूमि है तथा यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर काबिज भी है, तो वह बतौर अतिक्रमी काबिज है तथा अतिक्रमी को किसी भी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का कोई भी बिन्दु अपने पक्ष में प्रमाणित नहीं किया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 89 के तहत खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं दौराने वाद रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट द्वारा तथाकथित पुराना कब्जा होना जाहिर किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील विवादित आराजी नगरपालिका सुमेरपुर के परिधी ग्राम में स्थित होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित नहीं मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जैर अपील विवादित आराजी ग्राम जाखोडा के खसरा नम्बर 305 व 353 खाता संख्या 1 में दर्ज है। इस प्रकार अपीलाण्ट यदि इस भूमि पर काबिज भी है, तो वह कब्जा अवैधानिक होकर अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होता है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान कराने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पृथक पृथक मत अभिनिर्धारित किए गए है, जिन पर किसी प्रकार की टिप्पणी इस स्तर पर किया जाना न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि यह मूल वाद का विषय है, जो मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर विधिक परिप्रेक्ष्य में तनकीयात के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विनिश्चिय पर ही संभव होगा, किन्तु हस्तगत परिस्थिति में अपीलाण्ट, जिसने कि एक अविधिपूर्ण कब्जे के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है, जो विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय विधिक दृष्टिकोण से न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 35/2008 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2011 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली